

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

(1996 का अधिनियम संख्यांक 40)

[24 दिसम्बर, 1996]

पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सेंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर संक्षिप्त नाम। विस्तार) अधिनियम, 1996 है।

2. इस अधिनियम में, जह तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “अनुसूचित क्षेत्रों” से ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट हैं। परिभाषा।

3. पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जिनका उपबन्ध धारा 4 में किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है। संविधान के भाग 9 का विस्तार।

4. संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान-मंडल उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जो निम्नलिखित लक्षणों में से किसी असंगत हो, अयति :—

(क) पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबन्ध पद्धतियों के अनुरूप होगा ;

(ख) ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा पुरखां या पुरखों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करता हो ;

(ग) प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचिक नामावलियों में सम्मिलित किया गया है ;

(घ) प्रत्येक ग्राम सभा, दोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए मक्षम होगी ;

(ङ) प्रत्येक ग्राम सभा,—

(i) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का इसके पूर्व कि ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों, और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाए, अनुमोदन करेगी ;

(ii) गरीबी उन्मूलन और ग्राम कार्यक्रमों के अधीन हिताधि व्यक्तियों के रूप में व्यक्तियों की वहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी होगी;

(८) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह श्रेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से, खंड (३) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अनिवार्य करे;

(९) अनुसूचित क्षेत्रों में की प्रत्येक पंचायत में स्थानों का आरक्षण, उस पंचायत में उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना है:

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के अधीन कम नहीं होगा:

परन्तु यह श्री पंचायत के अध्यक्षित के रसी स्थान ग्रामी तारों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे;

(अ) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, नामनिर्देशित कर सकेगी:

परन्तु ऐसा नामनिर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा:

(क्ष) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करने के पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने या उनको पुनर्वासित करने के पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श किया जाएगा; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा;

(अ) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और उनका प्रबन्ध उपयुक्त स्तर पर पंचायतों का संचापा जाएगा;

(ट) समूचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनुमूलित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वक्षण अनुज्ञात या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व आशापक बनाया जाएगा;

(ठ) उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा गौण खनिजों के गम्भीरयोजन के लिए रियायत देने के लिए आशापक बनाया जाएगा;

(इ) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करते समय जो उन्हें स्थायत शाशन की संस्थाओं के हृषि में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधान-मंडल यह मुनिशिवत करेगा कि पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर विनिर्दिष्ट हृषि हो,—

(i) भवनियेध प्रवर्तत करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपयोग को विनियमित या निर्वनिधि करने की शक्ति प्रदान की जाए;

(ii) गौण बन उपज का स्वामित्व प्रदान किया जाए;

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने और किसी अनुसूचित जनजाति को विधिविहृदयतया अन्य संक्रमित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिए उपयूक्त कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की जाए;

(iv) ग्राम बाजारों का, चाहे वे किसी भी नाम से जात हों, प्रबन्ध करने की शक्ति प्रदान की जाए;

(v) अनुसूचित जनजातियों को घन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए;

(vi) सभी सामाजिक सेवटरों में संरथाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए;

(vii) स्थानीय योजनाओं पर श्रीर ऐसी योजनाओं के लिए जिनके अन्तर्गत जनजातीय उपयोजनाएँ हैं, संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए;

(d) ऐसे राज्य विधानों में, जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर पर की पंचायतें, निम्न स्तर पर की किसी पंचायत की या ग्राम समा की शक्तियां और प्राधिकार अपने हाथ में न लें;

(e) राज्य विधान-मंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करते समय संविधान की छठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगा।

5. इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख के ठीक पूर्व, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित भाग 9 के उपबंधों से असंगत है, जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है तब तक प्रवृत्त बना रहेगा:

विद्यमान विधियों
और पंचायतों
का बना रहना।

परन्तु ऐसी तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान समा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के सकल द्वारा एहते ही विवरित नहीं कर दी जाती है, तो अपनी अवधि की समाप्ति तक वनी रहेंगी।